भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रगति

अथवा

भारत में भूमि सुधार के लिए उठाये गए कदम

पिछले वर्षों में भूमि सुधार के काफी प्रयत्न किये गये हैं जिनके फलस्वरूप निम्न 4 कार्यक्रम लागू किये गये हैं :

(I) मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन (Abolition of Intermediaries and Zamindars)

भूमि सुधार प्रयत्नों में सबसे पहला प्रयत्न मध्यस्थों व जमींदारों की समाप्ति के लिए किया गया। इस सम्बन्ध में मद्रास में 1948 में; बम्बई व आन्ध्र प्रदेश में 1949-50 में; मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व असम में 1951 में; पंजाब, राजस्थान व उड़ीसा में 1952 में तथा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिमी बंगाल में 1954-55 में सम्बन्धित अधिनियम पारित किये गये। **इन विभिन्न राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत अब तक दो करोड़ से अधिक काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध हो गया है और उनको मालिकाना हक दे दिये गये हैं।**

विभिन्न राज्य सरकारों ने जमींदारी उन्मूलन के लिए जो अधिनियम बनाये थे उनमें अग्रलिखित विशेषताएं थीं :

(1) **अधिकारों का उन्मूलन एवं क्षतिपूर्ति**—जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों में जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया है और इसके बदले में उनको मुआवजा या क्षतिपूर्ति दे दी गयी है।

---

1 *Tenth Five Year Plan*, Vol. II, p. 552.

Scanned with CamScanner

(2) **क्षतिपूर्ति का आधार**—जमींदारों को क्षतिपूर्ति का आधार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रखा गया, जैसे उत्तर प्रदेश में आधार शुद्ध सम्पति रखा गया था जबकि असम, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में 'शुद्ध आय' था। कुछ राज्यों में बड़े जमींदारों को निम्न दर से व छोटे जमींदारों को ऊँची दर से क्षतिपूर्ति की गयी। कुछ राज्यों में क्षतिपूर्ति तो एक-सी दर से दी गयी, लेकिन छोटे जमींदारों को पुनर्वास हेतु अतिरिक्त अनुदान दिये गये।

(3) **क्षतिपूर्ति का भुगतान**—क्षतिपूर्ति का भुगतान कुछ राज्यों द्वारा पूर्णतः नकदी में किया गया, जबकि कुछ राज्यों द्वारा नकदी व बॉण्डों में। जिन राज्यों में बॉण्डों में भुगतान किया गया उन्होंने अपने राज्यों में 'जमींदारी उन्मूलन कोष' की स्थापना की। इस कोष में उस रकम को जमा किया गया जो कृषक ने भूमिधारी काश्तकार बनने के लिए सरकार को दी थी।

(4) **वैयक्तिक कृषि के लिए भूमि रखने की छूट**—विभिन्न अधिनियमों में यह व्यवस्था भी की गयी थी कि जो जमींदार जितनी भूमि को स्वयं जोतते थे उसे उनके पास ही छोड़ देने की छूट थी।

(5) **सामान्य भूमि पर राज्य सरकारों का अधिकार**—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् गाँव में जो सामान्य भूमि (जैसे बंजर भूमि, वन, हाट की भूमि, चरागाह की भूमि, आदि) बची उस पर राज्य सरकारों का अधिकार हो गया।

(6) **लगान देने का दायित्व**—इन अधिनियमों में यह व्यवस्था भी की गयी थी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् काश्तकार या आसामी अपनी भूमि पर लगान सीधा ही सरकार को देगा और लगान देने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(7) **जमींदारी पुनः पनपने पर प्रतिबन्ध**—इसके लिए अधिनियमों में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक काश्तकार के लिए भूमि को स्वयं ही जोतना अनिवार्य होगा, लेकिन विधवा, फौज में कार्य करने वाले सेविवर्ग, बन्दी व रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी भूमि को लगान पर दूसरों को उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 8 अगस्त, 1947 को एक प्रस्ताव पास किया कि जमींदारी का उन्मूलन कर दिया जाय और इस कार्य के लिए एक समिति पं. गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में बनायी गयी जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1948 में दे दी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक 7 जुलाई, 1949 को प्रस्तुत किया गया जो 16 जनवरी, 1951 को पास हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जमींदारों ने न्यायालयों की शरण ले ली। अन्त में 5 मई, 1952 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध घोषित कर दिया जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने 1 जुलाई, 1952 से राज्य की कृषि जमींदारियों की भूमि का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया।

उत्तर प्रदेश में 30 जून, 1952 को जमींदारों के पास 4.13 करोड़ एकड़ भूमि थी जिसमें से 3.9 करोड़ एकड़ भूमि ही सरकार द्वारा लेने का निश्चय किया गया। क्षतिपूर्ति की मात्रा शुद्ध आय का 8 गुना रखी गयी। जमींदारों की कुल संख्या 30 लाख आँकी गयी जिसमें से 90 प्रतिशत जमींदार तो केवल नाममात्र के ही जमींदार थे जो 25 रुपये वार्षिक से भी कम लगान देते थे। केवल 30,000 जमींदार (अर्थात् कुल जमींदारों की संख्या का 1.5 प्रतिशत) ही 250 रुपये वार्षिक से अधिक लगान देते थे। इस 30,000 की संख्या में 5,000 जमींदार 1,000 रुपये तक लगान देते थे तथा 400 ऐसे थे जो 10,000 रुपये से अधिक लगान देते थे। कुल क्षतिपूर्ति 160 करोड़ रुपये आँकी गयी थी।

इस अधिनियम ने चार प्रकार के कृषकों को जन्म दिया—(1) **भूमिधर**—वे काश्तकार जो अपने वर्तमान लगान का 10 गुना सरकारी खजाने में जमा कर देंगे उन्हें भूमिधर कहा जायेगा। भविष्य में उनको लगान नहीं देना होगा, लेकिन मालगुजारी देनी होगी जो वर्तमान लगान की आधी होगी। (2) **सीरदार**—जो काश्तकार 10 गुना जमा न करना चाहें वे सीरदार कहलायेंगे और सरकार को वही लगान देते रहेंगे जो जमींदार को देते थे। (3) **अधिवासी**—वे काश्तकार जो उप-किसान के रूप में कार्य करते थे अधिवासी कहलायेंगे। इनको अपनी खेती की जमीनों को पाँच वर्ष तक रखने का अधिकार दिया गया। इसके पश्चात् 15 गुना लगान जमा कराकर सीरदार बन सकते थे। (4) **आसामी**—यह वे व्यक्ति थे जो बन भूमि, रहन भूमि, बगीचों की भूमि, आदि पर खेती करते थे। उनके अधिकार स्थायी नहीं होते थे।

Scanned with CamScanner

मध्य प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन

मध्य प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1951 में लागू किया गया था जिसके अनुसार जमींदारों को उनकी शुद्ध आय का 8 से 20 गुना तक क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया, लेकिन छोटे जमींदारों को क्षतिपूर्ति पुनर्वास अनुदान भी दिया गया तथा जिसके लागू होने से जमींदारी, मालगुजार, जागीरदार, इजारेदार व पलमतदार सभी के अधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन खुद काश्त को छोड़ दिया गया। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होने पर पूरे राज्य में समान भूमि व्यवस्था स्थापित कर दी गयी है।

जमींदारी उन्मूलन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्न प्रकार से लाभकारी रहा है :

(1) **शोषण का अन्त**—जमींदारों द्वारा काश्तकारों का शोषण किया जाता था, उसका अन्त जमींदारी उन्मूलन से हो गया है और अब इनके द्वारा न बेगार ली जाती है और न उपहार।

(2) **उत्पादन में वृद्धि**—जमींदारी उन्मूलन से करोड़ों काश्तकारों को भूस्वामित्व के अधिकार मिल गये हैं जिससे वे अब कृषि भूमि में स्थायी सुधार करने लगे हैं और मन लगाकर काम करने से उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

(3) **सरकारी आय में वृद्धि**—जमींदारी उन्मूलन से सरकारी आय में भी वृद्धि हुई है। 1951-52 में सरकार को 48 करोड़ रुपये लगान के रूप में मिलते थे, लेकिन वर्तमान में यह आय 1,500 करोड़ रुपये हो गई है।

(4) **कृषकों का सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध**—अब कृषकों का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिससे उनको सरकारी सहायता मिलने में आसानी हो गई है।

(5) **भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता**—जमींदारी उन्मूलन होने से भूमि सुधार के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आसान हो गया है। अब चकबन्दी, सहकारी खेती, अधिकतम जोत नियम, आदि को आसानी से लागू किया जा सका है।

(6) **सामन्तवाद का अन्त**—जमींदारी के अन्त से सामन्तवाद का अन्त हो गया है और अब कृषक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार अब किसान लोकतन्त्र व समाजवाद में हिस्सेदार बन गये हैं।

(7) **पंचायतों की आय में वृद्धि**—जमींदारी उन्मूलन से ग्राम पंचायतों को बंजर भूमि व चरागाह, आदि का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व मिल गया है जिससे उनकी आय में वृद्धि होने लगी है।

(8) **किसानों की उन्नति**—जमींदारी प्रथा की समाप्ति ने किसानों को अपनी उन्नति करने का अवसर प्रदान कर दिया है, क्योंकि अब न तो इनका शोषण होता है और न उन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया जा सकता है। अब वे पैदावार बढ़ाकर अपनी उन्नति करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(9) **भूमिहीन कृषकों को भूमि**—जमींदारी उन्मूलन के कारण अब तक लगभग 60 लाख हेक्टेअर भूमि को इन भूमिहीन कृषकों में बाँटा जा चुका है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि जमींदारी उन्मूलन से भूमि व्यवस्था में सुधार हुआ है और जमींदारों का वर्ग जो काफी प्रबल था वह अब पूर्णतया निर्बल होकर समाप्त हो चुका है। इस कदम को हम समाजवादी समाज की दिशा में एक कदम कह सकते हैं।

(II) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार (Reforms in Tenancy System)

विभिन्न जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों के अन्तर्गत छूट दी गयी है कि विधवाएँ, अवयस्क, सैनिक या असमर्थ लोग अपनी भूमि को दूसरे को जोतने के लिए दे सकते हैं। इस प्रणाली या व्यवस्था को पट्टेदारी कहते हैं। पट्टेदारी व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए यह आवश्यक समझा गया कि इस ओर भी कुछ प्रयत्न किये जायें। अतः इस ओर अग्रांकित सुधार किये गये हैं :

(1) **लगान का नियमन**—लगान-नियमन के कानून बनने के पूर्व पट्टेदार को सामान्यतः कुल उपज का आधा भाग भूमि के मालिक को लगान के रूप में देना पड़ता था। अतः प्रथम योजना में इस बात की सिफारिश की गयी कि ऐसा लगान कुल उपज के 20 से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बाद में विभिन्न राज्यों ने इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अधिनियम बनाये जिनके अनुसार लगान की उचित दर पंजाब व हरियाणा में 33.5 प्रतिशत, तमिलनाडु में सिंचित भूमि का 40 प्रतिशत तथा शुष्क भूमि का 25 प्रतिशत, आन्ध्र में सिंचित भूमि का 30 प्रतिशत व सूखी भूमि का 25 प्रतिशत निर्धारित की गयी। जम्मू व कश्मीर में लगान की दर 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है। शेष सभी राज्यों में यह दर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

Scanned with CamScanner

(2) **पट्टे की सुरक्षा**—राज्यों ने पट्टे की सुरक्षा के सम्बन्ध में अधिनियम पारित किये हैं। इन अधिनियमों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि (i) बड़े पैमाने पर पट्टेदारों की बेदखली न हो; (ii) भूमि के मालिकों को केवल स्वयं काश्त के लिए ही भूमि पुनः प्राप्त करने की अनुमति हो; (iii) भूमि को पुनः प्राप्त करने पर पट्टेदार के पास निश्चित न्यूनतम भूमि अवश्य रहने दी जाय। इस प्रकार बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व महाराष्ट्र के अधिनियमों में यह व्यवस्था है कि भूमिपति को पट्टेदार के पास पट्टे वापस लेते समय कुछ भूमि अवश्य छोड़नी होगी। आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सीमा निर्धारण के स्तर तक भूमि का पुनः ग्रहण करने का अधिकार भूमि के मालिक को दिया गया है। पंजाब व असम के अधिनियमों में राज्य ने पट्टेदार को अन्यत्र भूमि दिलाने का उत्तरदायित्व लिया है।

(3) **पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकार**—कई राज्यों में पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकार दिलाने के लिए वैधानिक व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत पट्टेदार निर्धारित क्षतिपूर्ति के बाद भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में अभी आन्ध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब व असम में ऐसे अधिनियम नहीं हैं।

(4) **पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार का प्रभाव**—पट्टेदारी व्यवस्थाओं में सुधार के अच्छे परिणाम निकले हैं जिससे 124.2 लाख काश्तकारों को लाभ हुआ है जिन्हें स्वामित्व अधिकार दिये गये हैं।

Scanned with CamScanner